भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 309
जिसका उत्तर सोमवार 05 फरवरी, 2024
16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है

विनिवेश लक्ष्य

309. श्री एम.के. राघवनः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के विनिवेश लक्ष्य को पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार हो रहे घाटे को किस प्रकार समायोजित करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के लिए पारिश्रमिक हेतु संशोधन वार्ता शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार के पास देश में बड़ी संख्या में कॉरपोरेट के ऋण को बट्टे खाते डाले जाने के संबंध में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क): वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2022-23 के दौरान, सरकार को 50,000 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (आरई) के विरूद्ध विनिवेश प्राप्तियों के रूप में 35,293.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विनिवेश के लिए 51,000 करोड़ रुपये और 2023-24 बजट अनुमान (बीई) के अनुसार अन्य पूंजीगत प्राप्तियों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया था। तथापि, संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर "विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ - प्राप्तियाँ" के तहत इसे 30,000 करोड़ रुपये तक संशोधित किया गया है, जिसमें अब विनिवेश और अन्य पूंजीगत प्राप्तियों की पूर्ववर्ती श्रेणियां शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में विनिवेश का कोई विशिष्ट अनुमान नहीं है। सरकार को चालू वित्त वर्ष में अब तक (दिनांक 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार) विनिवेश प्राप्तियों के रूप में 12,504.32 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।

(ख): कर और गैर-कर प्राप्तियां सरकार की कुल गैर-ऋण प्राप्तियों का बड़ा हिस्सा हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 6.4% के बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, राजकोषीय घाटा लक्ष्य को वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमान के जीडीपी के 5.9% से संशोधित करके, वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के जीडीपी का 5.8% कर दिया गया है।

(ग): जी, नहीं।

(घ): भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अवगत कराया है कि देश में बड़े कॉरपोरेट बट्टे खाते (राइट-ऑफ) से संबंधित डेटा उसके द्वारा नहीं रखा जाता है।

*****